

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2021—माघ 30, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्रमांक ई-1-15/2020/1/2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 आबंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आबंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2019 को पूर्ण होने के उपरान्त, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(1) के परंतुक के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2021 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-11 में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आकाश छिकारा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री चंद्रकांत वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद.
3.	श्री कुणाल दुदावत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया.
4.	श्री मयंक चतुर्वेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी.
5.	श्री रोहित व्यास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

(एक) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2020) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- नियम-4 में उप नियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धति** के वर्तमान प्रावधान के निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—
“साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रुपये 10,001 से 1,00,000 (रुपये दस हजार एक से रुपये एक लाख) तक हो. इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है. इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर किया जा सकेगा. परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टता ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा.”
- नियम-4 में उप नियम 4.3.3** के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—
“खुली निविदा पद्धति :— इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये. निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :—
1- जहां निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 1,00,001 से 2.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में.
2- रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में.

- 3- रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो-प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में.
- 4- रु. 20.00 लाख से अधिक-प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में.

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी.

परंतु, केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा.

परंतु, खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा.”

“परंतु, सुरक्षा संबंधी उपकरणों वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कंडिका-4.3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है. ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा.”

3. **नियम-11** के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा. प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे. विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है. भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा.

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहां पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे. इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी. समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रणीत किया जायेगा.

ई-मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा. प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee receipt-Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी. यह (PRC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा. (CRAC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा.”

(दो) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन विभागों के द्वारा जेम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए.

(तीन) यह भी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा (पूर्व) के बॉयलर क्रमांक सी.जी./489 को दिनांक 22-01-2021 से 21-02-2021 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 7-04/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री त्रिलोक बंसल, भापुसे (2016) राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर को दिनांक 26-12-2020 से 08-01-2021 (कुल 14 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2020 एवं 09, 10 जनवरी 2021 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्रिलोक बंसल, भापुसे (2016) आगामी आदेश तक, राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री बंसल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जनवरी 2021

क्रमांक 1737/823/2020/38-2.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय द्वारा अथवा पृथक्: दल गठित कर वर्ष में न्यूनतम एक अथवा दो बार निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करवायेगा. निरीक्षण दल, निजी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अधिसूचित परिनियम एवं अध्यादेशों तथा राज्य शासन के अधिनियम के अधीन विनियमों एवं विनिर्देशों के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण कर, शासन को प्रतिवेदन देगा.

शासन, प्रतिवेदन के तथ्यों पर विनियामक आयोग से समय सीमा में 15 दिवस के भीतर अभिमत प्राप्त करेगा तथा यदि निजी विश्वविद्यालय के परिचालन में कोई कमी या प्रावधानों का उल्लंघन अथवा विपरीत कार्य परिलक्षित होने पर, अवसर प्रदान करते हुए, निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा.

No. 1737/823/2020/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government shall, hereby, conduct inspection of private University either by the State Government, Higher Education Department Directorate or by constituting a segregation team, atleast once or twice a year. The inspection team shall inspect and report to the Government regarding compliance by private University with the regulations and specifications under the notified statutes, ordinances and Acts of the State Government in the area of administrative, educational and financial management.

The Government shall obtain an opinion from the Regulatory Commission on the facts of the report within 15 days of the time limit and if there is any deficiency in the operation of the private university or violation of the provisions or when the opposite act is reflected, by providing an opportunity, shall take action against the Private University as per the provisions of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2021

क्रमांक 32/एफ. 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा सुश्री अलरमेलमंगई डी. भा.प्र.से. (2004), जो सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 दिनांक 30-11-2020 के परिपालन में श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989) द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पदभार ग्रहण करने एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद से पदमुक्त होने के कारण श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989) को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम 77(4) के अंतर्गत उक्त कंपनी के पदेन निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जनवरी 2021

क्रमांक 47/एफ. 1-1/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हर्ष गौतम, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 दिनांक 30-07-2020 के परिपालन में श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक (भा.प्र.से.) द्वारा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण करने एवं विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पदों से पदमुक्त होने के कारण श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम 77(4) के अंतर्गत उक्त कंपनी के पदेन निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जनवरी 2021

क्रमांक 49/एफ. 1-1/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हर्ष गौतम, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 दिनांक 30-07-2020 के परिपालन में श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक (भा.प्र.से.) द्वारा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण करने एवं विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पदों से पदमुक्त होने के कारण श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम 77(4) के अंतर्गत उक्त कंपनी के पदेन निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 7-18/2019/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 18-9-2020 द्वारा कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

ग्राम का नाम	राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा क्रमांक	विकास योजना के अनुसार खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बरबसपुर पहलं. 6	359	495	21.71 में से 1.0388	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	व्यवसायिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	359	472	1.5 में से 0.6300	कृषि एवं आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर (0.21 एकड़ आमोद प्रमोद छोड़कर)
	359	479	12.05 में से 4.1700	डपिंग यार्ड	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	481	1.26 में से 0.4200	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	482	1.24 में से 0.3500	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	483	0.46 में से 0.3340	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	487	3.71 में से 0.1720	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	491	1.05 में से 0.7300	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	492	0.17 में से 0.1700	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	493	5.25 में से 3.7700	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	494	2.25 में से 1.2500	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	495	21.71 में से 16.0790	कृषि एवं आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर (1.29 एकड़ आमोद प्रमोद छोड़कर)
	359	497	2.53 में से 0.5000	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	500	1.14 में से 0.4900	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	502	0.15 - 0.1500	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	359	503	2.75 में से 0.3600	कृषि एवं आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर (0.35 एकड़ आमोद प्रमोद छोड़कर)
	359	504	0.16 में से 0.0400	आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	506	2.65 में से 0.1300	आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	518	1.12 में से 0.1100	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	519	7.47 में से 5.6500	कृषि एवं आमोद-प्रमोद (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर (1.83 एकड़ आमोद प्रमोद छोड़कर)
	359	521	1.42 में से 0.3400	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	522	0.37 में से 0.1000	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	523	0.99 में से 0.2900	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर
	359	525	1.11 में से 0.0600	कृषि (गैर निर्माण क्षेत्र)	ट्रांसपोर्ट नगर

कुल 36.2950

- उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में नगर पालिक निगम कोरबा की प्रस्तावित नवीन परिवहन नगर योजना हेतु है.
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया. सुनवाई के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव को अमान्य किया गया.
- अतः राज्य शासन एतद्वारा कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/5017/04/अ-82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2019-20.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी	0.578	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2020 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, मझवानी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम हैं ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां-उल्लेखित भूमि पर माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3841.79 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/5019/08/अ-82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2018-19.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	छतौना	13.174	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य डूबान क्षेत्र निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-11-2020 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, छतौना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य डूबान क्षेत्र निर्माण कार्य हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	50
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम हैं ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां-उल्लेखित भूमि पर शीर्ष कार्य डूबान क्षेत्र निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3841.79 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मिस्त्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15079/10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	केनाडांड प.ह.नं. 46	2.288	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	रामपुर जलाशय योजना अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-भेलवागुड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.567 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.032
69	0.024
76	0.130
77	0.036
75	0.016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/14458/50/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(1)	(2)
80	0.016	44/2	0.040
68/1	0.094	43/1	0.040
68/2	0.040	40/1	0.024
108	0.008	40/2	0.024
67	0.057	37/1, 38/1	0.061
66	0.057	37/3, 38/4	0.032
119, 120	0.057		
योग	12	योग	0.544
	0.567		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केहरानाला जलाशय योजना के नहर लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/15563/04/अ-82/2017-18.—
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-कनकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/4	0.032
45/3	0.020
45/6	0.040
45/12	0.061
45/14	0.101
45/1	0.069

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/15564/10/अ-82/2017-18.—
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-गुमिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.305 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1, 2	0.061
56	0.041
21/1	0.057
42/2	0.028
21/2	0.028
21/3	0.028
69/7	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
22/1	0.065	622	0.081
109	0.032	618	0.089
117	0.028	617	0.030
134	0.008	536/5, 537/4	0.036
43	0.101	1077/1	0.121
23/1	0.028	1077/2	0.101
107	0.020	1098	0.020
23/2	0.016	1099/1	0.049
541/1	0.101	1103	0.020
23/3	0.036	1106	0.016
24	0.013	1104	0.012
69/4	0.021	1107	0.012
37, 38/2	0.016	1108	0.024
119	0.041	1125	0.021
38/1	0.041	69/1	0.061
36	0.024	42/3	0.028
39, 40	0.028	57/1	0.028
62	0.101	82	0.049
122	0.028	86/2	0.036
123	0.121	536/8, 536/6	0.036
61	0.061	437/2	0.036
84/1	0.161	536/6, 537/4	0.036
127/5	0.016		
86/5	0.036	योग	3.305
69/9	0.020		
127/7	0.061	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तेन्दुवाही	
127/8	0.065	व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.	
127/4	0.028	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
69/6	0.049	(राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
69/8	0.049		
128/4	0.020		
133	0.045		
45	0.061		
129	0.049		
487/1	0.040		
488/4	0.024	कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2020	
489	0.077		
491	0.032		
498/1	0.016	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/15565/22/अ-82/2017-18.—	
1102/2	0.005	चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	
610/1	0.020	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	
1096	0.024	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	
1102/1	0.061	अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
611/4	0.061	का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	
614/1	0.028	2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
611/9	0.061	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
614/2	0.028	है :—	

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		8/3	0.020
(क) जिला-कोरबा			
(ख) तहसील-करतला	योग		1.475
(ग) नगर/ग्राम-तरदा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.475 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना का बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
3/1	0.016	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
4/1	0.045	किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
7/1	0.012	कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़	
3/8	0.129	एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व	
8/4	0.024	एवं आपदा प्रबंधन विभाग	
8/5	0.045	महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020	
3/4	0.012	क्रमांक 173/भू.अ./02-अ/82, वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य	
3/5	0.073	शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
7/2	0.004	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
193/1	0.036	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,	
192/1	0.063	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
191/1	0.063	अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013	
173	0.024	कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया	
194	0.004	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
202	0.016	अनुसूची	
189	0.137	(1) भूमि का वर्णन-	
190	0.008	(क) जिला-महासमुंद	
200	0.020	(ख) तहसील-सरायपाली	
239	0.016	(ग) नगर/ग्राम-घुंजापाली, प.ह.नं. 49	
204	0.012	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.57 हेक्टेयर	
172, 205/7	0.049	खसरा नम्बर	रकबा
170	0.020	(1)	(2)
212/1	0.145	632	0.08
214/1	0.004	628	0.04
214/3	0.020	626	0.13
213/2	0.024	514	0.01
215/2	0.117	618	0.14
238/1	0.004	616	0.15
215/7, 305/3	0.040		
241/2	0.040		
171/1	0.016		
171/2	0.008		
174/1	0.105		
174/2	0.024		
238/3	0.032		
299/5, 299/9	0.008		
299/1	0.040		

(1)	(2)	अनुसूची	
607/3	0.05	(1) भूमि का वर्णन-	
608/1	0.02	(क) जिला-महासमुंद	
609/1	0.06	(ख) तहसील-सरायपाली	
609/2	0.01	(ग) नगर/ग्राम-बेलटीकरी, प.ह.नं. 46	
604	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर	
610	0.01		
597	0.14	खसरा नम्बर	रकबा
596/1	0.11		(हेक्टेयर में)
596/3	0.02	(1)	(2)
592	0.07		
590/2	0.01	105	0.02
341	0.06	91	0.10
589/2	0.01	104	0.14
520	0.07	102	0.12
343/4	0.04	103/2	0.01
343/2	0.01	92	0.09
343/3	0.04	153	0.03
344	0.01	86	0.01
265/2	0.07		
233/2	0.09	योग	8 0.52
234	0.01		
235	0.02		
236/3	0.01		
237/3	0.03		
347	0.01		
345	0.03		
योग	32		1.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेन्दरीनाला व्यपवर्तन योजना के बांयी नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

क्रमांक 175/भू.अ./03-अ/82, वर्ष 2018-19.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

क्रमांक 177/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01-अ/82, वर्ष 2016-17.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-मौलीखार, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	124	0.14
93/2	0.24	योग	43
102	0.12		3.98
122	0.16	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
123	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.	
192/2	0.07	महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020	
192/8	0.42		
126/1	0.12	क्रमांक 179/भू.अ./10-अ/82, वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
93/4	0.03		
192/10	0.03		
93/3	0.07		
119/1	0.02		
192/9	0.03		
116	0.12		
115	0.10		
90	0.21		
161/3	0.08		
161/4	0.06	अनुसूची	
74/36	0.06	(1) भूमि का वर्णन—	
192/26	0.07	(क) जिला-महासमुंद	
192/25	0.17	(ख) तहसील-सरायपाली	
73	0.09	(ग) नगर/ग्राम-परसकोल, प.ह.नं. 38	
271/2	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर	
72/8	0.05	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
72/12	0.03		
271/03	0.04	(1)	(2)
72/11	0.04		
72/18	0.03		
271/4	0.02	304	0.03
72/14	0.03	120	0.01
72/15	0.07	138	0.01
161/1	0.04	170	0.01
192/15	0.06	303	0.11
72/7	0.03	287	0.01
192/1	0.01	301/1	0.06
208/5	0.04	326/2	0.06
208/6	0.01	139	0.01
208/8	0.03	301/2	0.07
208/7	0.05	324	0.06
209	0.29	158	0.01
263	0.34	363	0.03
269	0.28		
271/1	0.03		

(1)	(2)	(1)	(2)
326/1	0.05	478	0.01
343	0.08		
344/3	0.04	योग	54 1.68
121	0.01		
146	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दाऊगुड़ी	
168	0.01	व्यपवर्तन योजना के दांयी एवं बांयी तट नहर निर्माण कार्य.	
345	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
347	0.04	(रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.	
362	0.02		
143	0.01		
162	0.01	महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020	
286	0.01		
348	0.09	क्रमांक 181/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08-अ/82, वर्ष 2017-	
154	0.01	18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे	
359	0.01	दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)	
358	0.01	में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	
157/2	0.01	अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
472	0.03	का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	
137	0.01	2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
142	0.01	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
169	0.01	है :—	
285	0.01	अनुसूची	
357	0.01	(1) भूमि का वर्णन-	
288/1	0.01	(क) जिला-महासमुंद	
156/1	0.01	(ख) तहसील-सरायपाली	
471	0.04	(ग) नगर/ग्राम-सुखापाली, प.ह.नं. 41	
150	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर	
155	0.01	खसरा नम्बर	रकबा
136	0.01		(हेक्टेयर में)
152	0.01	(1)	(2)
171	0.01	395/1	0.01
148	0.01	395/2	0.20
462	0.06	395/3	0.03
463	0.07	394	0.13
464	0.09	233	0.27
465	0.10	234	0.04
466	0.10	243/1	0.15
467	0.05	243/2	0.07
473	0.05	241	0.02
479	0.03	346	0.05
		240	0.13

(1)	(2)	अनुसूची	
347	0.06	(1) भूमि का वर्णन-	
382	0.05	(क) जिला-महासमुंद	
297	0.03	(ख) तहसील-सरायपाली	
298	0.08	(ग) नगर/ग्राम-बांजीबहाल, प.ह.नं. 49	
299	0.05	(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.55 हेक्टेयर	
303	0.05	खसरा नम्बर	रकबा
304	0.08		(हेक्टेयर में)
302	0.05	(1)	(2)
308	0.11		
345/3	0.02	566	0.27
362	0.07	562	0.02
345/2	0.09	544	0.06
344	0.16	545	0.05
315	0.08	550	0.06
361	0.13	512	0.04
345/1	0.03	561	0.07
363	0.01	552	0.02
348	0.06	618	0.01
337	0.07	619	0.01
338	0.20	558	0.01
335	0.03	548	0.01
331	0.05	557/1	0.02
332	0.02	546	0.05
336	0.02	547	0.01
345/4	0.07	503	0.03
		525	0.01
योग	36	553	0.02
	2.77	617	0.02
		554	0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल		221	0.06
जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.		513/2	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		615/2	0.02
(रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.		520/2	0.03
		522/2	0.02
		521	0.05
		614	0.03
महासमुंद, दिनांक 24 दिसम्बर 2020		616	0.01
		479/1	0.08
क्रमांक 183/भू.अ./01-अ/82, वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य		480	0.04
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		428	0.07
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		478/1	0.07
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,		476/2	0.06
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		470	0.08
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013		453	0.02
कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया		446/2	0.06
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		444	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.01	72	0.06
427	0.05	46	0.06
446/1	0.09	47	0.08
366	0.01	40	0.14
370	0.02	39	0.09
371	0.01	350	0.01
356	0.12	392	0.01
402	0.01	280	0.01
368	0.07	281	0.04
369	0.01	351/1	0.03
372	0.01	568	0.02
295	0.06	520/1	0.03
296	0.04	522/1	0.02
297	0.04	458	0.03
298	0.03	462	0.06
291	0.13	योग	77
305	0.07		3.55
307	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेन्दरीनाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य.	
290	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.	
306	0.06		
313	0.03		
285	0.04		
283	0.16		
222/1	0.05	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
220	0.06	कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2020

क्रमांक/क/4017/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2020.—नगोई-नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत ग्राम लमरी-डबरी, तहसील कोटा, जिला-बिलासपुर में भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर समाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह का अंकन रिपोर्ट—

नगोई-नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत ग्राम लमरी-डबरी, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर की अर्जन हेतु भूमि पर समाजिक समाघात हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा क्र. 46/भू-अर्जन/2019 बिलासपुर दिनांक 28-05-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला बिलासपुर में नगोई-नगपुरा मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 08-08-2019 को 10.00 बजे ग्राम पंचायत भवन नगोई में नियत समय पर जन सुनवाई आयोजित कि गई थी. उक्त ग्राम में कुल प्रभावितों की संख्या 5 एवं कुल प्रभावित रकबा 0.495 हेक्टेयर है.

समाजिक समाघात दल द्वारा प्रारूप दो में कृषकों की सहमति ली गई है। अर्जन हेतु प्रभावित भूमि पर कोई मकान इत्यादि प्रभावित नहीं हो रहा है। न ही भू-अर्जन किये जाने से किसी भी परिवार का विस्थापन किया जाना संभावित है।

समाजिक समाघात दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आंकलन कर विशेषज्ञ दल द्वारा यह राय है कि,

- (क) पूर्व में इस मार्ग में अरपा नदी पर पुल नहीं था एवं सड़क मार्ग भी नहीं था, इस निर्माण के पश्चात् यह मार्ग 8.40 मी. चौड़ाई का पुल सहित हो जावेगा। जिसके कारण नगोई से नगपुरा तक आवागमन सुगम होगा।
- (ख) नदी में बारिश के दिनों में भी पुल बनने के बाद आवागमन सुगम होगा।
- (ग) मार्ग में पड़ने वाले लगभग 10 ग्रामों के लोगों को पूर्व में यातायात में परेशानी हो रही थी यह दूर होगी।

उपरोक्त के अनुकूल ग्राम लमरीडबरी तहसील कोटा भू-अर्जन हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता के साथ लोकहित में उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन की अनुशंसा की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2020

क्रमांक/क/4019/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2020.—नगोई-नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत ग्राम नगोई, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर में भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर समाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह का अंकन रिपोर्ट—

नगोई—नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत ग्राम नगोई, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर की अर्जन हेतु भूमि पर समाजिक समाघात हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा क्र. 47/भू-अर्जन/2019 बिलासपुर दिनांक 28-05-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला बिलासपुर में नगोई-नगपुरा मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 08-08-2019 को 10.00 बजे ग्राम पंचायत भवन नगोई में नियत समय पर जन सुनवाई आयोजित कि गई थी। उक्त ग्राम में कुल प्रभावितों की संख्या 19 एवं कुल प्रभावित रकबा 1.564 हेक्टेयर है।

समाजिक समाघात दल द्वारा प्रारूप दो में कृषकों की सहमति ली गई है। अर्जन हेतु प्रभावित भूमि पर कोई मकान इत्यादि प्रभावित नहीं हो रहा है। न ही भू-अर्जन किये जाने से किसी भी परिवार का विस्थापन किया जाना संभावित है।

समाजिक समाघात दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आंकलन कर विशेषज्ञ दल द्वारा यह राय है कि,

- (क) पूर्व में इस मार्ग में अरपा नदी पर पुल नहीं था एवं सड़क मार्ग भी नहीं था, इस निर्माण के पश्चात् यह मार्ग 8.40 मी. चौड़ाई का पुल सहित हो जावेगा। जिसके कारण नगोई से नगपुरा तक आवागमन सुगम होगा।
- (ख) नदी में बारिश के दिनों में भी पुल बनने के बाद आवागमन सुगम होगा।
- (ग) मार्ग में पड़ने वाले लगभग 10 ग्रामों के लोगों को पूर्व में यातायात में परेशानी हो रही थी यह दूर होगी।

उपरोक्त के अनुकूल ग्राम लमरीडबरी तहसील कोटा भू-अर्जन हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता के साथ लोकहित में उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन की अनुशंसा की जाती है।

हस्ता./-

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी.

**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)**

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 30 जनवरी 2021

उद्घोषणा पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना

राजस्व प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/2017-18.—चूँकि निम्नांकित ग्राम मेड़ो, तहसील दुर्गुकोंदल जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है. और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं का अपने अधिकार के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में दिनांक 15-02-2021 दिन सोमवार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में प्रातः 11.00 बजे दिन सोमवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित कृत का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं०	रकबा हे. में	एकड़ में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	लच्छिंदर पिता फलटन सा. देह भूमि स्वामी	160	0.02	0.05	मटासी	—	—	सेतु निर्माण कार्य
2	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	घसिया पिता रामा सा.देह भूमि स्वामी	164	0.11	0.275	मटासी	—	—	
3	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	राजबाबू पिता बमरू सा.देह भूमि स्वामी	168	0.04	0.1	मटासी	—	—	
4	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	चमरिन पति घरमणि सा.देह भूमि स्वामी	167	0.02	0.05	मटासी	—	—	
5	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	भागीरथी पिता मेड़तर सा.देह भूमि स्वामी	159	0.03	0.075	मटासी	—	—	
6	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	पतिराम पिता मेड़तर सा.देह. भूमि स्वामी	169	0.05	0.15	मटासी	—	—	
				177	0.01					
7	मेड़ो	भानुप्रतापपुर	दुखुराम पिता मनेश सा.देह भूमि स्वामी	176	0.17	0.425	मटासी	—	—	

आज दिनांक 30-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

सही/-

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांदा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/5808.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/1102-1103 रायपुर दिनांक 08-06-2020 द्वारा श्रीमती निशा नेताम मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजुर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/1912/कले./भा.सा.अ./नियुक्ति/2020-21 कांकेर दिनांक 14-12-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पखांजुर का भारसाधक अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजुर का स्थानांतरण चारामा होने का उल्लेख करते हुए श्री धनंजय नेताम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजुर को कृषि उपज मंडी समिति पखांजुर का पदेन भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्रीमती निशा नेताम मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजुर के स्थान पर श्री धनंजय नेताम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/5824.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5122-5123 रायपुर दिनांक 22-11-2019 द्वारा श्री आर. पी. चौहान डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर का पत्र क्र./9030/व.लि./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05-12-2020 द्वारा श्री आर. पी. चौहान डिप्टी कलेक्टर कोरिया भारसाधक अधिकारी मनेन्द्रगढ़ को कार्य विभाजन कर मनेन्द्रगढ़ से भरतपुर जनकपुर का अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पदस्थ किये जाने के कारण कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़ में भारसाधक अधिकारी हेतु श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ को नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री आर. पी. चौहान डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ के स्थान पर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

हिम शिखर गुप्ता
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2021

क्रमांक/22/अ.भू.अ./2021.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/1248/राजस्व/2020/सात-4 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10-11-2020 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/585/रायपुर, बुधवार 11 नवंबर 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार गठित नवीन तहसील गण्डई व अपवर्जित छुईखदान तहसील हेतु मैं टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर राजनांदगांव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में गठित नवीन तहसील गण्डई व अपवर्जित तहसील छुईखदान में संलग्न सूची अनुरूप पटवारी हल्का व राजस्व मंडल का पुर्नगठन करता हूं.

तहसील छुईखदान (अपवर्जित) व नवीन गठित तहसील गण्डई में पुर्नगठित पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक की सूची संलग्न है.

टोपेश्वर वर्मा,
कलेक्टर.

प्राकृतिक
तहसील गण्डई पुर्नगठन परम्परा तहसील मुख्यालय में प्रस्तावित नवीन हल्के की जानकारी

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पुनः कमांकित पञ्चदश	प्रस्तावित नवीन पञ्चदश	मुख्यालय	पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कीफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुख्यालय	साहूवा	साहूवा	1	1	नचनिया	नचनिया	नचनिया	618.378	
2							सरईपेरा	सरईपेरा	926.343	
3							लालपुर		313.710	
4							तलहटी		66.400	विरान
5							अमरपुर		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
6							राखीडीह		106.370	
7				2	2	खादी	खादी	खादी	539.177	
8							भाजीडीगरी	भाजीडीगरी	230.936	
9							पोड़ी		281.769	
10				3	3	साहूवा	साहूवा	साहूवा	474.794	
11							देवपुराघाट	देवपुराघाट	525.036	
12							बघाटोला		461.080	
13				4	4	सहसपुर	सहसपुर	सहसपुर	162.911	
14							गवामाव		311.196	
15							गोलरडीह	गोलरडीह	366.895	
16							बिपलपुर		229.429	
17							रेनाखार		206.100	
18							सरौडी		225.317	
19							परसाही		93.612	
20							दल्ली		313.530	
21				5	5	आमगाव	आमगाव	आमगाव	354.783	
22							जामगाव	जामगाव	299.997	
23							राजाबर		145.546	
24				6	6	रामपुर	रामपुर	रामपुर	289.695	
25							कोसमरी	कोसमरी	158.114	
26							ऊनासिंधा		160.270	
27							गोमले		162.911	
28				7	7	घोबर	घोबर	घोबर	199.765	
29							चंडरीपानी		38.425	
30							झिलमिली		34.336	
31							बगारझोला		377.243	
32							कल्लेपानी		724.853	
33							मरकाटोला		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
34							बकोना		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
35							पीचराही		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
36							कोपरो	कोपरो	326.960	
37							सिमबोरा		85.829	
38							भठली		171.933	
39							मालगुण्डी		160.739	
40				8	8	मेरुखदान	मेरुखदान	मेरुखदान	433.320	
41							मुसुम		356.647	
42							विशिनखपरी		288.540	
43							बैना साहूवा		227.682	
44							मधुवाही		24.831	
45							अकलकुआ		201.510	
46							बरवाही		97.519	
47							समनापुर	समनापुर	189.310	
48							बजारपुर		154.954	
49		चकनार	अतरिया	10	9	ठाकुरटोला	ठाकुरटोला	ठाकुरटोला	297.961	
50							मदेरा		155.512	
51							सिमापुर	सिमापुर	444.901	
52							बेलगाव		367.183	
53							लखनपुर उर्फ डंडुटोला		178.917	
54		अतरिया					गुमदायाह		268.421	
55							शुक्लरा		304.567	
56				33	10	धिरघोली	धिरघोली	धिरघोली	264.152	

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व विरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व विरीक्षक मण्डल का नाम	पुनः कमांकित प080न0			पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	क्षेत्रफल
				वर्तमान प080न0	प्रस्तावित नवीन प080न0	मुख्यालय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57							गमरा		450.138	
58							उरतुली	उरतुली	210.727	
59							मेन्वा		188.840	
60							धुनरकोन्हा		534.000	
61							चम्पाटोला		468.080	
62				32	11	अतरिया	अतरिया	अतरिया	421.319	
63							कुङ्कुमुडी	कुङ्कुमुडी	506.765	
64							खैरना	खैरना	509.988	
65							गुमानपुर		287.084	
66				31	12	सडी	सडी	सडी	720.832	
67							खैरानवापारा	खैरानवापारा	403.370	
68							बेलगांव		238.650	
69				29	13	पंढरिया	पंढरिया	पंढरिया	263.723	
70							ओटेबद		260.309	
71							मोड़भाठा		168.173	विरान
72							विघारपुर	विघारपुर	471.859	
73				30	14	गुरई	गुरई	गुरई	317.838	
74							डोंडिया		245.805	
75							पुरेना		244.342	
76							भरदागोड	भरदागोड	540.410	
77				34	15	झुरानदी	झुरानदी	झुरानदी	501.231	
78							बाईकटोरी	बाईकटोरी	221.879	
79							बाबुनवागांव		189.702	
80							भोरमपुर	भोरमपुर	140.576	
81							महलटोला		191.088	
82							कोटरीछापर		84.660	
83				35	16	खुडमुडी	खुडमुडी	खुडमुडी	376.850	
84							लंसियाटोला	लंसियाटोला	238.658	
85							बघमरी		264.684	
86		बकरकट्टा	बकरकट्टा	36	17	देवरव्हा	देवरव्हा	देवरव्हा	309.539	
87							लावातरा		420.238	
88							बुडानभाठा		352.189	
89							भिरिया		219.720	
90							मछेवा(अ080)		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
91							मडवाभाठा		275.056	
92							दिगीपुर(अ080)		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
93							कुरमा(अ080)		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
94							गरा	गरा	429.713	
95							पटचर		240.075	
96							कोहकाझोरी		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
97							जुमारा		129.617	
98							भण्डारपुर		119.524	
99				37	18	कुम्हरवाडा	कुम्हरवाडा	कुम्हरवाडा	301.964	
100							कोहकाडीह		85.260	
101							गतापार		291.128	
102							गुहरी		93.070	विरान
103							तेन्दुवाडा		376.170	
104							वरियाकोन्हा		115.600	
105							बसंतपुर		364.820	
106							खवासटोला		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
107							लासकाछार		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
108							विहसपुर		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
109							विघारपुर		344.680	
110							सरोखी (बकरकट्टा)	सरोखी (बकरकट्टा)	215.783	
111							कुन्डी		284.260	
112							नवागांव		446.772	
113							कोकराडीला		49.910	विरान
114							सोहरिया		43.030	विरान
115							पतरीला		25.770	विरान

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमाकित प0ह0न0			पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प0ह0न0	प्रस्तावित नवीन प0ह0न0	मुख्यालय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116							खण्डापाथर		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
117				38	19	बकरकट्टा	बकरकट्टा	बकरकट्टा	483.287	
118							खाम्ही		67.070	
119							मजगाव		286.655	
120							समुन्दपानी	समुन्दपानी	465.630	
121							हाथीझोलाकला		357.827	
122							हाथीझोलाबुर्द		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
123							सजारी		123.310	
124							मडियापार		56.140	विरान
125							बरडीह		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
126							सगुन्दाह		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
127							लमजीटोला		150.360	विरान
128							निजामडीह		347.600	
129				39	20	भोथली	भोथली	भोथली	356.647	
130							मुजारी		298.395	
131							दुटामड		97.254	
132							बलरामपुर		144.364	विरान
133							खम्लारडीह		126.573	विरान
134							अनिवाटोला		166.268	
135							कोरुआ		258.853	
136							भावे	भावे	52.471	
137							लमरा		220.160	
138							लखनझिरिका		371.120	
139							मरकाटोला		93.510	
140							कोलवा		42.186	विरान
141							टंगला		90.694	विरान
142				40	21	गातापार	गातापार	गातापार	278.911	
143							गाहाडीह		195.797	
144							पाटा		153.757	
145							लमली		97.898	विरान
146							पोरलाडीह	पोरलाडीह	229.178	
147							कुकराटोला		183.278	
148							बजरंगपुर		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम
149							कुमरडीह		355.467	
150							छिदासी		403.515	
151							घोपरे		199.544	
152	छुईखदान	छुईखदान		41	22	बीरुटोला	बीरुटोला	बीरुटोला	485.238	
153							हाटबजा		354.782	
154							कानीमेरा	कानीमेरा	493.811	
155							कोहलाटोला	कोहलाटोला	305.953	
156							गडबंजा		268.314	
157				42	23	लखनपुर	श्यामपुर	श्यामपुर	223.765	
158							रामपुरवागाव		186.132	
159							बुझनमाठ	बुझनमाठ	289.406	
160							घारिया		304.501	
161							लखनपुर	लखनपुर	169.776	
162				43	24	छुईखदान	छुईखदान		277.444	नगर पंचायत
163	उदयपुर	उदयपुर		44	25	गोपालपुर	गोपालपुर	गोपालपुर	167.674	
164							कोडका		357.813	

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमाकित प0ह0न0			पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प0ह0न0	प्रस्तावित नवीन प0ह0न0	मुख्यालय				
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11
165							राधापुर		93.656	विरान
166							सिलपट्टी	सिलपट्टी	442.115	
167				45	26	आनगाव	आनगाव	आनगाव	315.432	
168							बिड़ीरी		291.094	
169							कुटलीखुर्द	कुटलीखुर्द	440.127	
170							साखा	साखा	269.974	
171							कोराव		231.203	
172				46	27	पदमावलीपुर	पदमावलीपुर	पदमावलीपुर	757.261	
173							खपरीदरबार	खपरीदरबार	340.183	
174				47	28	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	1094.044	
175							आमाघाटकादा	आमाघाटकादा	488.980	
176				48	29	मैहर	मैहर	मैहर	406.562	
177							सोताडबरी		503.743	
178							खैरी	खैरी	573.231	
179				49	30	बुन्देली	बुन्देली	बुन्देली	466.369	
180							नहागांवलोदी		341.468	
181							सुराडबरी	सुराडबरी	563.017	
182				50	31	बोरई	बोरई	बोरई	777.257	
183							कोटरा	कोटरा	480.543	
184				51	32	कुटलीकला	कुटलीकला	कुटलीकला	851.815	
185							साल्हेकला	साल्हेकला	800.100	
186							ओरिया		315.355	
योग				5	32		186	67	51077.634	

प्रारूप
नवीन गठित तहसील गंडई जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रस्तावित नवीन हल्का की जानकारी

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प0ह0न0			पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत		
				वर्तमान प0ह0न0	प्रस्तावित नवीन प0ह0न0	मुख्यालय						
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11		
1	गण्डई	सातखेवावा	चकनार	9	1	मोहगांव	मोहगांव	मोहगांव	896.830			
2							बेगरी		1267.248			
3							मानपुरपहाडी	मानपुरपहाडी	536.344			
4							लमरा		603.472			
5							दरबानटोला		526.552			
6							दुमरिया	दरबानटोला	470.232			
7							खरां		211.540			
8							पैलीमेटा	पैलीमेटा	540.914			
9							दोरीगड		0.000	अस्तित्वहीन ग्राम		
10							11	2	पैलीमेटा	जंगलपुरघाट	जंगलपुरघाट	224.432
11		मगरकुण्ड			291.466							
12		खैरानवापारा			263.046							
13		अधानकपुर			206.510							
14		जीराटोला उर्फ बुबलंगपुर		अधानकपुर	207.866							
15		गहिराटोला			244.754							
16		जीराटोला		जीराटोला	444.492							
17		बगपुर			179.734							
18		मानपुर		मानपुर	638.205							
19		दोजरी			178.367							
20		13		4	छंढार	छंढार	छंढार	471.966				
21						चकनार	चकनार	405.048				
22		14		5	जोग	जोग		299.091				
23						गर्त	जोग	192.565				
24						मानिकचीरी		229.377				
25						जंगलपुर	जंगलपुर	375.037				
26		15		6	हनईबन	खोधा		257.845				
27						हनईबन	हनईबन	390.031				
28						जगमंडवा	जगमंडवा	189.678				
29		16		7	घोधा	रैमडवा		227.780				
30						गोकना	गोकना	270.565				
31						बागुर	बागुर	267.213				
32						मजगांव		208.400				
33		गण्डई		गण्डई	गण्डई	17	8	गंडई	घोधा	घोधा	303.924	
34									गंडई		311.445	नगर पंचायत
35									टिकरीपारा		238.830	नगर पंचायत
36									पंडरिया		707.690	नगर पंचायत
37						18	9	पंडरिया	कोपेमाठा		245.819	नगर पंचायत
38									कुतबांस	कुतबांस	253.152	
39						19	10	कुतबांस	बुडासागर	बुडासागर	180.024	
40									कोदवा		205.572	
41						20	11	कटंगी	कटंगी		365.011	
42									वावमुख	कटंगी	125.410	
43		बिरवा			232.383							
44		झालपुर			21.350							
45		मुंडाटोला		मुंडाटोला	219.128							
46		सराकापा			133.007							
47		मुरसाटोला			59.409							
48		21		12	खोडा				खोडा	खोडा	208.790	
49									दुल्लापुर	दुल्लापुर	148.758	
50									सेतवा		202.917	

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमाकित पओहोनों			पटवारी हल्का नं. में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	क्षेत्रफल
				वर्तमान पओहोनों	प्रस्तावित नवीन पओहोनों	मुख्यालय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51							डाबा	डाबा	415.128	
52				22	13	डाबा	नादिया	नादिया	304.947	
53							बराबर		338.931	
54							लीमो	लीमो	252.224	
55				23	14	लीमो	लालपुर	लालपुर	265.165	
56							ईरीमकसा		305.076	
							देवपुरा (गं)	देवपुरा (गं)	265.960	
				24	15	देवपुरा (गं)	भुलुसी	भुलुसी	344.217	
							बैदरी		153.201	
60		पेठरवानी	पेठरवानी				पेठरवानी	पेठरवानी	478.625	
61							फिलगुडा	फिलगुडा	282.145	
62				25	16	पेठरवानी	बरबसापुर	बरबसापुर	224.041	
63							मेवासापुर		173.897	
64							सुरपुरियाडीह		148.778	
65							संबलपुर	संबलपुर	461.516	
66							बिरनपुरखुर्द		267.680	
67				26	17	संबलपुर	कांशीटोला	कांशीटोला	213.425	
68							हरबंडा		243.700	
69							सुखरी		171.316	
70							बिरनपुरकला	बिरनपुरकला	304.866	
71							पथर	पथर	818.350	
72				27	18	पथर	छिराहीडीह		289.161	
73							कालेगोदी	कालेगोदी	316.836	
74							मरदकटेरा		215.133	
75							दनिया	दनिया	306.759	
76				28	19	दनिया	भारगुडा		204.660	
77							उदान	उदान	219.108	
78							तैनुगाडा		297.831	
योग		3		19			78	40	24161.895	

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्रमांक 82/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रघुनाथपुर/2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अम्बिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) एवं बटवाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम बटवाही, सायरराई एवं लमगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम लमगांव, सायरराई, रघुनाथपुर, दर्रीडीह एवं सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 82/नगानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रघुनाथपुर/2020.—Notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and Register of Raghunathpur Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidenece of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit Of Raghunathpur Planning Area

NORTH	:	Village Sumerpur alias (Chendra) and upto the Northern Limit of Batwahi.
EAST	:	Village Batwahi, Sayarrai & upto the Eastern Limit of Lamgaon.
SOUTH	:	Village Lamgaon, Sayarrai, Raghunathpur, Darridih & upto the Southern Limit of Sumerpur alias (Chendra).
WEST	:	Village upto the Western Limit of Sumerpur alias (Chendra).

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette.

Inspection Site :— Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Old Employment Office, Ring Road, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

क्रमांक/7294/न.ग्रा.नि./2020.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15(1) के अनुसरण में जयरामनगर-मस्तुरी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 3556/व.भू.उ.प्र./नगानि/2020 बिलासपुर दिनांक 29-06-2020 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 7 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट जयरामनगर-मस्तुरी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

जयरामनगर-मस्तुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में अंकित हैं —

अनुसूची

जयरामनगर-मस्तुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम खपरी, परसदा, भेलाई एवं पाराघाट ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम पाराघाट, देवगांव, हिरी एवं रिसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम रिसदा, कोहरौदा, पेन्डी एवं सरगवां ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम सरगवां, मस्तुरी आंकडीह, किरारी एवं खपरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 7294/न.ग्रा.नि./2020.—The existing land use map and register for Jairamnagar-Masturi Planning Area was published under sub-section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 3556 Bilaspur, date 29-06-2020 in Chhattisgarh Rajpatra Published on dated 07 August 2020.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Jairamnagar-Masturi Planning Area prepared and published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning, Bilaspur under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted.

The limits of Jairamnagar-Masturi Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits Of Jairamnagar-Masturi Planning Area

NORTH : Village Khapri, Parsada, Bhelai and upto the Northern boundary of Paraghat.
EAST : Village Paraghat, Deogaon, Hirri and upto the Eastern boundary of Risda.
SOUTH : Village Risda, Koharada, Pendari and upto the Southern boundary of Sargawan.
WEST : Village Sargawan, Masturi, Ankdihi, Kirari and upto the Western boundary of Khapri.

The said adopted map and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours, except holiday for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Bilaspur (C.G.).

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th November 2020

No. 9893/Checker/III-6-1/2007 (Pt. II).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Yogita Jangade, J.M.S.C., Dantewada.

Bilaspur, the 26th November 2020

No. 9895/Checker/III-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the

offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Avinash Kumar Dubey, J.M.F.C., Pandriya	Kawardha	Kawardha
2.	Shri Deepak Kumar Sharma, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
3.	Shri Ashish Bhagat, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
4.	Shri Rahul Shroff, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
5.	Shri Ishan Vyas, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
6.	Ku. Preeti, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
7.	Shri Himanshu Arya, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
8.	Smt. Minakshee Nag, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
9.	Shri Virendra Singh, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
10.	Shri Anshul Minz, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
11.	Smt. Kalpana Bhagat, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
12.	Ku. Yogita Jangade, J.M.F.C., Dantewada	Dantewada	Dantewada

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

क्रमांक 183/दो-2-43/2004.—श्री प्रभात कुमार शास्त्री, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा दिनांक 30-09-2020 की अपराह्न में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09, दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 10th December 2020

No. 739/Confdl./2020/II-2-1/2020.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jagdamba Rai, Chairman, Chhattisgarh State Co-operative Tribunal.	Bilaspur	Janjgir- Champa	Janjgir-Champa	District and Sessions Judge. He is also assigned the additional charge of the Court of Special Judge under S.C./S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Arvind Kumar Verma, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Bilaspur	Bilapur	District and Sessions Judge.
3.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Durg	Durg	District and Sessions Judge.
4.	Shri Arvind Kumar Sinha, II Additional Principal Judge, Family Court.	Raipur	Mungeli	Mungeli	District and Sessions Judge.
5.	Smt. Neeta Yadav, Special Judge under SC/ST (P.A.) Act.	Janjgir-Champa	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 10th December 2020

No. 741/Confdl./2020/II-2-1/2020.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pankaj Kumar Sinha, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Bemetara	Bemetara	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 10th December 2020

No. 743/Confdl./2020/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service are, hereby, issued certificate in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.)
2.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan
3.	Shri Pankaj Sharma
4.	Shri Deepak Kumar Gupta

(1)	(2)
5.	Shri Sunil Kumar Nande
6.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur
7.	Smt. Mamta Patel
8.	Shri Ajay Singh Rajput
9.	Smt. Heemanshu Jain
10.	Shri Anish Dubey
11.	Shri Shahabuddin Qureshi
12.	Shri Rakesh Kumar Verma
13.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.)
14.	Shri Ashish Pathak
15.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi
16.	Smt. Neeru Singh
17.	Shri Atul Kumar Shrivastava
18.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel
19.	Shri Anand Prakash Wariyal
20.	Shri Siddharth Aggarwal
21.	Shri Chandra Kumar Kashyap
22.	Shri Shrikant Shrivastava
23.	Shri Vivek Kumar Verma
24.	Shri Vijay Kumar Sahu
25.	Shri Satish Kumar Jaiswal*
26.	Smt. Pooja Jaiswal
27.	Shri Madhusudan Chandrakar
28.	Smt. Pratibha Verma
29.	Shri Kamlesh Jagdalla
30.	Shri Venseslas Toppo
31.	Shri Kiran Kumar Jangade
32.	Shri Shyam Sunder Kashyap
33.	Shri Avinash Tiwari

Bilaspur, the 4th January 2021

No. 04/Confdl./2021/II-2-90/2001 (Pt.-III).—Shri Deepak Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh is appointed as Registrar General in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.